



अज अदालत  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

सवाई पुत्र हेमा वगैरा  
जाति सुथार  
निवासी सुथारो की बेरी (आडेल)  
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम


जोधाराम पुत्र चोलाराम वगैरा  
जाति जाट  
निवासी सुथारो की बेरी (आडेल)  
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर  
मुकदमा स. 120/2017

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
19.04.2017	<p>महोदय यह आवेदन पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। 1.कोर्ट फीस पूर्ण है। 2.वाछित दस्तावेज सलंगन/पूर्ण है। 3.प्रस्तुत आवेदन पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। 4.अतः आवेदन पत्र दर्ज करने योग्य है।</p> <p>अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ </p> <p>उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम)सिणधरी</p>	
19.04.2017	<p>यह आवेदन पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवाई जावे। रजिस्ट्री खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। विप्रार्थीगण के नोटिस की रजिस्ट्री करवाने हेतु दस्ती प्रार्थी अधिवक्ता को दी जावे। पत्रावली वास्ते-तलबी व जवाब दिनांक 24.05.2017 पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी</p>	

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान- न्याय आपके द्वार 2017 में अटल सेवा केंद्र आडल में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी सं.6 की ओर से परोकार सरकार नायब तहसीलदार उपस्थित। विप्रार्थीगण को राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं.1 से 6 बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। जो बाद शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।



  
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी